



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102026-277480
CG-DL-E-28102026-277480

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5636]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 28, 2026/कार्तिक 6, 1948

No. 5636]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2026/KARTIKA 6, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5866(अ).— केंद्र सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 2 के खंड (xi) के उप-खंड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वापक औषधि संबंधि संयुक्त राष्ट्र एकल कन्वेंशन, 1961 के तहत लिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित पदार्थों, लवणों तथा उनसे तैयार की जाने वाली वस्तुओं को निर्मित औषधि घोषित करती है, अर्थात्:-

(i) एन-पाइरोलिडिनो आइसोटोनिटाज़ीन (आइसोटोनिटाज़ेपाइन)

5-नाइट्रो-2-[4-(2-प्रोपोक्सि)बेंज़ाइल]-1-[2-(पाइरोलिडिन-1-इल)एथाइल]-1एच-बेंज़ो[डी]इमिडाज़ोल

(ii) एन-डेसेथाइल एटोनिटाज़ीन-

2 [(4-इथाक्सीफेनाइल)मिथाइल]-एन-इथाइल-5-नाइट्रो-1एच-बेंज़िमिडाज़ोल-1-एथेनामीन

2. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. एन-12012/2/2026-एनसी-II-डीओआर]

मोन्टी कुमार झा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2026

S.O. 5866(E).— In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (xi) of section 2 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government having regard to the decision taken under the United Nations Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 hereby declares the following substances, salt and preparations to be manufactured drugs, namely:-

- (i) N-pyrrolidino isotonitazene (Isotonitazepyne)
5-Nitro-2-[4-(2-propoxy)benzyl]-1-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]-1H-benzo[d]imidazole
- (ii) N-desethyl etonitazene-
2-[(4-Ethoxyphenyl)methyl]-N-ethyl-5-nitro-1H-benzimidazole-1-ethanamine

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No N-12012/2/2026-NC-II-DOR]

MONTY KUMAR JHA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5867(अ).— चूँकि केन्द्र सरकार निम्नलिखित पदार्थों (प्राकृतिक या कृत्रिम) या प्राकृतिक सामग्री या किसी लवण या ऐसे पदार्थों या सामग्रियों के निर्माण के दुरुपयोग की प्रकृति और प्रभाव या दुरुपयोग के दायरे के संबंध में, और ऐसे पदार्थों के संबंध में संशोधन और ऐसे परिवर्तन जो मनःप्रभावी पदार्थ संबंधी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 1971 में शामिल किए गए हैं, के आधार पर उपलब्ध जानकारी और साक्ष्य से संतुष्ट है, और वह निम्नलिखित पदार्थों या प्राकृतिक सामग्रियों या लवण या ऐसे पदार्थों या सामग्रियों के निर्माण को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61), (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मनःप्रभावी पदार्थों की सूची में जोड़ना अनिवार्य मानती है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा इस अनुसूची में क्रम संख्या 110 जेडजेडके और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ सम्मिलित करते हुए अधोलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, अर्थात्:-